মোকদ্দমাটি [illegible]
[illegible] ধার্য আছে; [illegible]
[illegible], আসামী [illegible]

3.1.25 [illegible]

3.1.25 আসামীপক্ষের [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

निर्णय न्यायालय श्री रामावतार मीना, आर० ए० एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सांगोद जिला कोटा

अपील संख्या /2016 | तारीख रजू 08.12.2016 | तारीख निर्णय

1- ओमप्रकाश आयु 45 साल पुत्र श्री श्यामलाल जाति ढोली निवासी ग्राम सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा

—अपीलाण्ट—

बनाम

1- शिवराज पुत्र श्री बहादुर जाति कण्डारा निवासी ग्राम बैंगना तहसील बारॉ जिला बारॉ।

2- रमेश पुत्र श्री बहादुर जाति कण्डारा निवासी ग्राम बैंगना तहसील बारॉ जिला बारॉ।

3- हीरालाल पुत्र श्री बहादुर जाति कण्डारा निवासी ग्राम बैंगना तहसील बारॉ जिला बारॉ।

4- सरवन पुत्र श्री बहादुर जाति कण्डारा निवासी ग्राम बैंगना तहसील बारॉ जिला बारॉ।

5- गंजूबाई बेवा श्री बहादुर जाति कण्डारा निवासी ग्राम बैंगना तहसील बारॉ जिला बारॉ।

6- सरपंच ग्राम पंचायत कुराडियाखुर्द तहसील सॉगोद जिला कोटा

7- उप—पंजीयक सॉगोद, जिला कोटा।

8- राज्य सरकार सॉगोद जिला कोटा तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

—रेस्पोडेण्ट्स—

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 384 दिनांक 05.10.2016 ग्राम पंचायत कुराडियाखुर्द, तहसील सॉगोद, जिला कोटा।

उपस्थित—

अपीलाट की ओर से

रेस्पोडेन्टस की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

पीठासीन अधिकारी

श्री रामावतार मीना, आर० ए० एस०,

निर्णय तारीख 03/01/2025

अपीलांट ने उपरोक्त उनवानी अपील नामान्तकरण संख्या 384 दिनांक 05.10.2016 ग्राम पंचायत कुराडियाखुर्द, तहसील सॉंगोद, जिला कोटा के विरूद्ध दिनांक 08.12.2016 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपील प्रार्थना पत्र मे अपीलांट ने अंकित किया है कि खातेदार स्वर्गीय बहादुर उर्फ रामबहादुर पुत्र श्री बिशना जाति कण्डारा निवासी ग्राम बैंगना तहसील बारों के नाम अंकित खसरा नंबर 218 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 219 रकबा 0.24 हैक्टर खसरा नंबर 223 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नंबर 224 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 4 की कुल 1.62 हैक्टर आराजी माल ग्राम डाबरीखुर्द तहसील सॉंगोद जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नंबर मि.44 रकबा 10 बीघा था जो पूर्व में दिनॉंक 18.09.1974 को राज्य सरकार द्वारा आवंटी ज्यानाबाई बेवा छपना कौम कण्डारा सा.देह को आवंटित की गई थी तथा आवंटी ज्यानाबाई से उक्त आराजी नन्दूबाई पुत्री छपना को प्राप्त हुई जिसकी मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी जरिये फौती इंतकाल संख्या 64 दिनॉंक 08.12.2004 से उक्त आराजी जरिये फौती इंतकाल संख्या 64 दिनॉंक 08.12.2004 से वसीयतकर्ता बहादुर उर्फ रामबहादुर के खाते दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त आराजी वसीयतकर्ता की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। वसीयतकर्ता द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी के संबंध में अपीलाण्ट के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनॉंक 25.04.2006 को रूबरू गवाहन तहरीर कर दिया था जिसके मुताबिक वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी का मालिक अपीलाण्ट को बनाया गया था। चूंकि वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के उपरान्त मुताबिक वसीयत अपीलाण्ट विवादग्रस्त आराजी का कानूनन खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरान्त अपीलाण्ट द्वारा वसीयतनामा की नकल पटवारी हल्का को दे दी थी जिसने अपीलाण्ट के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का विश्वास दिलाया

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

था किन्तु काफी समय तक पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक वसीयत अपीलाण्ट के नाम इंतकाल में दर्ज नहीं किया तो अपीलाण्ट ने स्वयं के पक्ष में इंतकाल तस्दीक करने बाबत दिनाँक 19.09.2016 को एक लिखित प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामें की नकल के तहसीलदार साँगोद को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार साँगोद द्वारा आदेश कमांक 2428 दिनांक 19.092016 जारी कर पटवारी हल्का को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये तथा तहसीलदार साहब द्वारा पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट करने के उपरान्त अपीलाण्ट व गवाहों के बयान दर्ज करने का मौखिक आश्वासन दिया था किन्तु पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा व तहसीलदार साँगोद के आदेश कमांक 2428 दिनाँक 19.09.2016 को नजरअंदाज करते हुये बिना अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये व बिना वसीयतनामें का परिक्षण किये रेस्पोडण्ट कम 1 लगायत 5 के पक्ष में फौती इंतकाल संख्या 384 दिनाँक 28.09.2016 को दर्ज कर दिया जो सरपंच ग्राम पंचायत कुराडियाखुर्द द्वारा दिनाँक 05.10.2016 को अवैध रूप से तस्दीक कर दिया जो कानूनन काबिल खारिजा है। जिसकी जानकारी प्रथम बार दि. 28.11.2016 को पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी व इन्तकाल प्राप्त करने पर हुई। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थी अपीलाण्ट को सूचना दिये व सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही प्रार्थी अपीलाण्ट की नाईल्मी में हुक्म जैर अपील पारित करने में भारी भूल की हैं जो विधिशास्त्र के सर्वमान्य सिद्धान्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय को न्यायहित में प्रार्थी अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने व सुनवाई करने का समय दिया जाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट की सहमति के व बिना कब्जे की जॉच किये, अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में हुक्म जैर अपील पारित करने में भारी भूल की है यह कि हुक्म जैर अपील पारित करते वक्त अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि विवादग्रस्त आराजी के संबंध में मृतक खातेदार द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयतनामा तहरीर किया हुआ था तथा तहसीलदार साँगोद द्वारा आदेश कमांक 2428 दिनाँक 19.09.2016 को भी पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत द्वारा नजरंदाज कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

गया। इस प्रकार हुक्म जैर अपील विधि एवं न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल खारिजा है। बिना अपीलाण्ट की सुनवाई के ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हुक्म जैर अपील पारित करने में भारी भूल की है। उक्त संबंध में अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट्स से कहा तो उन्होंने रिकार्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर आराजी को रहन, बैय, खुर्दबुर्द करने की धमकी दी। हुक्म जैर अपील से अपीलाण्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अपीलाण्ट हुक्म जैर अपील से एग्रीव्ड होने के कारण यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। न्यायहित में हुक्म जैर अपील को निरस्त किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा अपीलाण्ट को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया केस है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि माल ग्राम डाबरीखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा का इंतकाल संख्या 384 दिनॉक 05.10.2016 को न्यायहित में खारिज फरमाया जावे व मुताबिक वसीयत नामा दिनॉक 25.04.2006 विवादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट के नाम दर्ज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया है कि – मृतक बहादुर ने अपीलार्थी के हक में दिनांक 25.04.2006 को विधिवत् तरीके से वसीयत की है और बहादुर की पत्नि मजूबाई नाते चली गई, इस कारण से बहादुर की सेवा–चाकरी अपीलार्थी ने ही की है और अपीलार्थी की सेवा–चाकरी से प्रसन्न होकर दिनांक 25.04.2006 को बहादुर ने अपीलार्थी के हक में वसीयत की है । अपीलार्थी ने यह भी बतलाया है कि उक्त नामान्तरकरण अपीलार्थी को बिना सुनवाई व बिना सूचना के तस्दीक किया है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 28.11.2016 को हुई है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण जो प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के हक में हुआ है को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के हक में इन्द्राज किया जावे। अपने कथन के समर्थन वसीयतनामा दिनांक 25.04.2006।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तकरण संख्या 384 की प्रमाणित प्रति, रकम रसीद, जमाबन्दी सम्वत् 2070–72 की प्रमाणित प्रति। तहसीलदार प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2016 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में कोई न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किये है।

प्रत्यर्थी विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि – प्रथम तो अपील मियाद बाहर है, जिस नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है वह नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 5.10.2016 को ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द द्वार तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण की तस्दीक की दिनांक से अपील करने की मियाद 30 दिवस की होती है । अपीलार्थी ने मौजूदा अपील दिनांक 08.12.2016 को प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है, अपीलार्थी ने नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 28.11.2016 को हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी व इन्तकाल प्राप्त करने पर होना बताया है लेकिन यह अंकित नहीं किया कि उन्हें दिनांक 28.11.2016 को जमाबन्दी लेने की क्या आवश्कता हुई तथा अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुयी है उसको माफ किये जाने के लिये भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। धारा 5 मियाद अधिनियम के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता और अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है। भूमि अभी तक गैरखातेदारी में चली आ रही है और जिस समय वसीयत करना बतलाया है उस समय भी गैरखातेदारी में थी गैरखातेदारी की भूमि को वसीयत नहीं की जा सकती है तथाकथित वसीयत दिनांक 25.04.2006 बिल्कुल फर्जी है, प्रथम तो इस वसीयत को किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है । वसीयत को प्रमाणित करने के लिये धारा 68 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम एक गवाह द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए कि – वसीयतकर्ता ने इस वसीयत को गवाह के सामने स्वस्थ्य बुद्धि, स्थिर चित्त, बिना किसी दबाव के व प्रसन्नतापूर्वक निष्पादित किया है और गवाह के सामने वसीयतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। अपीलार्थी ने ऐसा किसी भी गवाह

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

का न तो कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। वसीयत पर कराये गये गवाहान में से किसी भी व्यक्ति को अपीलार्थी ने न्यायालय में परिक्षित भी नहीं कराया है। इस प्रकार से इस वसीयत को प्रमाणित नहीं किया गया है। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 की धारा 63 के अनुसार वसीयत को प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। तथाकथित वसीयत अपंजीकृत दस्तावेज है और अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं हो सकता है तथा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण जैसी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थीगण तथाकथित वसीयतकर्ता बहादुर के नेचूरल उत्तराधिकारी है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वारिसान है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल कार्यवाही होती है और ऐसी फिसकल कार्यवाही में नामान्तरकरण नेचूरल उत्तराधिकारियों के हक में ही तस्दीक किया जाता है। नेचूरल उत्तराधिकारियों को वंचित कर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता तथा नामान्तरकरण के समय वसीयतनामे, गोदनामे जैसे दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती । इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच केवल मूल रूप से प्रस्तुत वाद में ही की जा सकती है, इस प्रकार से ऐसे दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरकरण की प्रक्रिया में अपंजीकृत दस्तावेज अथवा गोदनामे को नहीं देखा जा सकता है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि – तथाकथित वसीयतनामा संदिग्ध है। जब वसीयतकर्ता के पुत्रगण शिवराज, रमेश, हीरालाल, सरवन तथा पत्नि मंजूबाई मौजूद है तो नेचूरल वारिसान की मौजूदगी में नेचूरल वारिसान के अधिकारों को समाप्त करके किसी अन्य व्यक्ति के हक में की गई वसीयत संदिग्ध होती है, तथाकथित वसीयत में वसीयतकर्ता द्वारा यह भी अंकित नहीं किया गया है कि उसने अपने पुत्रगण शिवराज, रमेश, हीरालाल व सरवन को उनके हिस्से की सम्पत्ति से क्यों वंचित किया है, जिससे भी स्पष्ट है कि तथाकथित वसीयत संदिग्ध है। वादग्रस्त भूमि तथाकथित वसीयतकर्ता बहादुर की स्व-अर्जित भूमि नहीं है। स्व-अर्जित सम्पत्ति ऐसी सम्पत्ति होती है जिसे वह व्यक्ति स्वयं अपनी आय से एकत्रित करता है या खरीदता है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त सम्पत्ति स्वर्गीय बहादुर ने स्वंय की आय से क्रय नहीं की है न ही बहादुर को आबंटित हुयी है बल्कि यह सम्पत्ति बहादुर को विरासत का इन्तकाल संख्या 64 दिनांक 18.12.2004 को प्राप्त हुयी है। जब यह सम्पत्ति बहादुर को विरासत से प्राप्त हुयी है तो इस सम्पत्ति को बहादुर की स्व–अर्जित सम्पत्ति नहीं माना जा सकता और किसी भी व्यक्ति को स्व–अर्जित सम्पत्ति को ही मुन्तकिल करने का या वसीयत दान या विक्रय करने का अधिकार होता है। जो सम्पत्ति स्व–अर्जित नहीं होती है उसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके वारिसों का जन्म से ही अधिकार होता है। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात में प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 5 का वादग्रस्त आराजीयात में बहादुर के साथ जन्म से ही अधिकार था और बहादुर का केवल 1/6 हिस्सा ही रहा है। इस प्रकार से भी समस्त आराजीयात को बहादुर को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। वसीयत अप्रमाणित होने के कारण अपीलार्थी को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और वसीयत का प्रमाणित होना आवश्यक है तथा अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने यह भी बतलाया है कि मंजूबाई के नाते चले जाने मात्र से मंजूबाई का उसके पति की सम्पत्ति में हिस्सा समाप्त नहीं हो जाता क्योंकि नाता प्रथा मात्र से उत्तराधिकार का अधिकार समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा वसीयतकर्ता के 4 पुत्र शिवराज, रमेश, हीरालाल व सरवन जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 है का उसकी माँ के साथ जाना न तो वसीयत में अंकित है और न ही अपील के प्रार्थना–पत्र में अंकित है और अधिवक्ता अपीलार्थी ने इन चारों पुत्रों के बाबत् अपनी बहस में भी कोई कथन नहीं किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने बहस में यह बतलाया है कि ये चारों पुत्र मृत्यु पर्यन्त अपने पिता बहादुर के साथ रहे थे और बहादुर की देखभाल सेवा–चाकरी इन चारों पुत्रों ने ही की है तथा इन चारों पुत्रों ने ही बहादुर का अन्तिम संस्कार, क्रियाकर्म आदि किया है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने यह भी बहस की है कि वादग्रस्त भूमि गैरखातेदारी की रही है और गैरखातेदारी की भूमि की वसीयत निष्पादित नहीं की जा सकती, इस प्रकार से भी उक्त तथाकथित वसीयत गैरकानूनी होने के कारण कोई महत्व नहीं रखती है और ऐसी वसीयत से किसी भी व्यक्ति

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं–

1- AIR 1990 SC 1742
2- 2007 (2) CC cases 141 (SC)
3- 2010 (3) CC cases 43 (SC)
4- 2017(2) RRT 1355
5- 2011(3) DNJ RAJASTHAN 1087
6- 2011(1) RRT 646
7- 2007(3) DNJ 1544
8- 1995 DNJ RAJ. 367
9- 1998 DNJ 150 SC
10- AIR 2006 SC PAGE 1895
11- AIR 2009 SC PAGE 951
12- 2017 (2) RRT PAGE 1355
13- 2011 (1) RRT PAGE 346

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अधोपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी की तरफ से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के रोशनी में प्रकरण का परीक्षण किया गया।

सर्वप्रथम प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा बताए गये अधिनियम की विवेचना करना उचित समझता हूँ

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय–4 में काश्तकारी अधिकारों/हितों व उनकी हस्तान्तरणीयता, विनिमय आदि के प्रावधान हैं, उनमें से धारा 38, 39, 40, 41 व 43 को भी विशिष्ट रूप से बतलाया गया है।

Rajasthan Tenancy Act, 1955:

38. Interest of tenants.- Save as provided in this Act, the interest of tenant in his holding is heritable but not transferable."

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

39. Bequest.- A khatedar tenant may by will bequeath his interest in the holding of part thereof in accordance with the personal law to which he is subject.

40. Succession to tenants.- When a tenant dies intastate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he is subject."

41. Transferability of Khatedar's Interest.-

The interest of a Khatedar tenant shall be transferable otherwise than by way of sublease, subject to the conditions specified in sections 42 and 43."

43. Mortgage.- (1) A khatedar tenant, or with the general or special permission of the State Government or any other authorized officer by it in this behalf, a Gair Khatedar tenant, may hypothecate or mortgage his interest ......"

उपरोक्त धाराओं के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि विधि के निर्माताओं द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में जकहीं "खातेदार कृषक" (khatedar tenant) शब्द का प्रयोग किया गया है और कहीं केवल "कृषक" (tenant) शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिनियम 1955 की धारा 14 में कृषक की कुल 4 श्रेणियां बताई गयी हैं। उक्त धारा 14 निम्न प्रकार है:—

"**14. Classes of tenants.-** For the purposes of this Act, there shall be the following classes of tenants, namely:

(a) Khatedar tenants,
(aa) Maliks and
(b) Tenants of khudkasht, and
(c) Gair Khatedar tenants.

खातेदार कृषक (khatedar tenant) वह है जो कि अधिनियम, 1955 की धारा 15 व उसके आगे की धाराओं में वर्णित है। मालिक (malik) वे हैं जो पहले खुदकाश्त भूमि पर काबिज बिस्वेदार या जमींदार (Biswedar or Zamindar in occupation of khudkasht land) थे। अधिनियम, 1955 की धारा 17–क और धारा 13 के मुताबिक अनुसार "मालिक" के भी वही अधिकार व दायित्व है जो "खातेदार कृषक" के है। यह खातेदार कृषक

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

के ही समतुल्य है। खुदकाश्त के कृषक (tenant of khudkasht) अधिनियम, 1965 की धारा 10-क सपठित धारा 13 अब उप-कृषक बन गये है। चूंकि खुदकाश्त अधिकार अब समाप्त हो चुके हैं, अतः कृषक की यह श्रेणी अब अस्तित्व में नहीं है। गैर खातेदार कृषक (Gair khatedar Tenant) वे हैं जो अधिनियम, 1955 की धारा 17 में परिभाषित है अर्थात वह प्रत्येक कृषक गैर खातेदार कृषक है जो खातेदार, या खुदकाश्त का कृषक, या उप-कृषक नहीं है। इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में केवल दो प्रकार के कृषक हैं- प्रथम खातेदार कृषक जिसमें मालिक भी शामिल हैं और दूसरे गैर खातेदार कृषक।

काश्तकार को **"खातेदार"** व **"गैर खातेदार"** की श्रेणियो में विभाजित किया जाना विधायिका द्वारा की गयी व्यर्थ की कार्यवाही नहीं है अपितु इसका अभीष्ट प्रयोजन है और अधिनियम, 1955 के प्रयोजनार्थ दोनों श्रेणी के काश्तकारों में कुछ मूलभूत अन्तर है। भूराजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 अथवा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विभिन्न नियमों के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित करने पर आवंटी को प्रथमतः सामान्यतः "गैर खातेदारी" प्रदान की जाती है और कुछ सालों तक आवंटन शर्तों की पालना करते हुये आवंटित भूमि पर कब्जे-काश्त के बाद तथा प्रावधानानुसार भूमि की कीमत/ प्रीमियम राशि जमा कराने पर आवंटी को भूमि के "खातेदारी" अधिकार प्रदान किये जाते हैं। गैर खातेदारी के दौरान आवंटी काश्तकार के अधिकार कुछ अंशों में सीमित होते है :

(1) काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 38 में कृषक, जिसमें खातेदार व गैर खातेदार कृषक दोनों शामिल हैं, के अधिकारों को उक्त अधिनियम मे किये गये अन्यथा प्रावधानों को छोड़कर, केवल उत्तराधिकार योग्य (heritable) माना है, हस्तान्तरणीय (transferable) नहीं। अर्थात सामान्यतः काश्तकारी हित/ अधिकार हस्तान्तरणीय नहीं है।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 39 मे वसीयत द्वारा काश्तकारी हितों के हस्तान्तरण का प्रावधान किया गया है, किन्तु विधायिका द्वारा यह अधिकार केवल "खातेदार कृषक" (khatedar tenant) को दिया गया है, "गैर खातेदार कृषक" (Gair Khatedar Tenant) को यह अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

(3) उक्त अधिनियम, 1955 की धारा 40 में उत्तराधिकार के प्रावधान कृषक के लिये हैं जिसमें खातेदार कृषक व गैर खातेदार कृषक शामिल हैं। अर्थात निर्वसतीय मरने वाले कृषक के अधिकार उसके लिये प्रभावी विधि अनुसार उत्तराधिकर में मिलेंगे।

(4) उक्त अधिनियम, 1955 की धारा 41 में हस्तान्तरणीयता बाबत विशेष प्रावधान किया गया है कि खातेदार कृषक अपने हितों का हस्तान्तर। धारा 42 व 43 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के अध्यधीन कर सकता है। इस धारा 41 के प्रावधान केवल खातेदार कृषक के लिये हैं, गैर खातेदार कृषक के लिये नहीं। अर्थात गैर खातेदार कृषक धारा 41 के अनुसार भी अपने हितों का हस्तान्तर.ण नहीं कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1955 में खातेदार कृषक व गैर खातेदार कृषक के अधिकारों मे अन्तर है और उक्त अधिनियम की धारा 39 में काश्तकारी हितों की वसीयत करने का अधिकार केवल खातेदार कृषक को है, गैर खातेदार कृषक को यह अधिकार नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–39 में निम्न प्रावधान दिये गये हैं

39. Bequest – A khatedar tenant may by will bequeath his interest in the holding or part thereof in accordance with the personal law to which he is subject.

इस प्रकार एक खातेदार अपने भूमि को वसीयत के द्वारा अन्तरित करने का अधिकारी है। वसीयत पंजीकृत अथवा नोटेरी से प्रमाणित हो सकती है। वसीयत के संबंध में नामान्तरकरण खोलने हेतु हमें राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम–1957 के नियम 132 का अवलोकन करना होगा।

राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम–1957 के नियम–132 के प्रावधान निम्न हैं

132– "दान, विक्रय, वसीयत या बन्धक द्वारा अन्तरण की दशा में पटवारी को यह अभिनिश्चित कर लेना चाहिये कि आया विलेख रजिस्ट्रीकृत कराया गया है या नहीं। उसे व्यक्तिक तौर पर उसकी परीक्षा करनी चाहिये और उसके रजिस्ट्रीकृत न होने की दशा में वह नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करेगा। यदि विलेख रजिस्ट्रीकृत हो, तो उसे उसके स्वरूप पक्षकारों के नामों और निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण के तारीख का उल्लेख करना चाहिये। इन मामलों का संक्षिप्त टिप्पण स्तम्भ संख्या–17 में किया जायेगा। पटवारी को विलेख अपने कब्जे में नही रखना चाहिये या उसकी प्रति नही लेनी चाहिये। अनुप्रमाणन अधिकारियों को स्वयं का

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

समाधान कर लेना चाहिये कि रजिस्ट्रीकृत विलेख से सम्बन्धित पटवारी की नामान्तरकरण रिपोर्ट में यथा दी गयी विशिष्टियां सही है।"

उक्त नियम के अनुसार केवल पंजीकृत वसीयतनामा के नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार अधिकृत है। जबकि उक्त वसीयतनामा अपंजीकृत है। **अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण तसदीक नहीं किया जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहता है तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये।**

मौजूदा प्रकरण में अपीलार्थी ने इन्तकाल संख्या 384 दिनांक 5.10.2016 ग्राम पंचायत कुराड़िया खुर्द तहसील सांगोद जो शिवराज, रमेश, सरवन पुत्रगण बहादुर मजूबाई बेवा बहादुर के हक में तस्दीक किया गया है को निरस्त कराने एवं वसीयतनामा दिनांक 25.04.2008 के आधार पर स्वंय के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के लिये अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह भी दर्ज किया है कि उसे इस नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 28.11.2016 को पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी व इन्तकाल प्राप्त करने पर हुयी। अपीलार्थी ने यह अंकित नहीं किया है कि उसे दिनांक 28.11.2016 को पटवारी हल्का से उक्त दस्तावेज लेने की क्या आवश्यकता हुयी। इसके अलावा अपील प्रार्थना-पत्र को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि यह इबारत अपील टाईप कराने के पश्चात पैन (हाथ) से लिखी हुयी है जिससे प्रकट होता है कि अपील के अन्दर मियाद बनाने के उद्देश्य से यह इबारत बढ़ाई हुयी है। अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र देरी माफ करने के लिये प्रस्तुत नहीं किया है । नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की मियाद जो 30 दिवस होती है वह नामान्तरकरण की दिनांक से होती है और यदि अपीलार्थी को नामान्तरकरण की जानकारी बाद में हुयी हो तब अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुयी है उसे माफ कराने के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में

उपखण्ड अधिकारी

हुई देरी को माफ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अपीलार्थी ने दिनांक 20.11.2016 को जानकारी होने बाबत् स्वंय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है जिसमें केवल यह देखना होता है कि विवादित भूमि का लगान किससे लिया जावे. नामान्तरकरण की कार्यवाही से कोई हित अथवा स्वामित्व उत्पन्न नहीं होता है ऐसी कार्यवाहियों में सम्पत्ति के स्वामित्व को नहीं देखा जाता है तथा वसीयत की वैधता के प्रश्न को भी नहीं देखा जाता है। नामान्तरकरण के समय यदि कोई वसीयत अथवा गोद-पत्र का प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न को जब तक सक्षम न्यायालय तय नहीं कर देती है तब तक इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय 2017 (2) आर आरडी पेज 1355 तथा माननीय उच्च न्यायालय ने 2007 वोल्यूम 3 डीएनजे पेज 1544 में यह प्रतिपादित किया है कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया के समय वसीयत के दस्तावेज को नहीं देखा जायेगा तथा नामान्तरकरण के समय यदि जो केवल राजस्व भू-राजस्व उगाहने के उद्देश्य से होता है। ऐसी कार्यवाहियों में मृतक के वारिसान के अधिकारों के विरूद्ध किसी दीगर व्यक्ति के हक में नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसे अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है और इस प्रकार से अपीलार्थी को अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक कराने का कोई अधिकार नहीं है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने दौरान बहस यह भी कथन किया कि – गैरखातेदारी की भूमि का वसीयतनामा नहीं कराया जा सकता। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय 2011([illegible]) आरआरडी पेज 346 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय 2011(3) डीएनजे राजस्थान 1087 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरखातेदारी की भूमि का वसीयतनामा कानूनन नहीं किया जा सकता । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी व

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

इन्तखाब को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि अभी तक गैरखातेदारी मे चली आ रही है और जिस समय वसीयत करना बतलाया है उस समय भी गैरखातेदारी में थी जिससे स्पष्ट है कि ऐसी गैरखातेदारी की भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है और जब अपीलार्थी के हक में तथाकथित वसीयत दिनांक 25.04.2006 वैध वसीयत की परिभाषा में नहीं आती है और अपीलार्थी को ऐसी वसीयत के आधार पर अपील करने का कोई अधिकार नहीं होता है। अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय से स्वामित्व की घोषणा कराया जाना आवश्यक है।

अपंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता । अपंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर सक्षम न्यायालय से ही स्वामित्व तय कराने के पश्चात् कार्यवाही की जा सकती है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त न्यायिक दृष्टान्तो में पारित किये गये सिद्धान्तों से मैं पूरी तरह सतुष्ट हू जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि अपंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। मैंने अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के प्रावधानों पर प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में अपने निर्णय एआईआर 1990 सुप्रिम कोर्ट 1742, 2007 वोल्यूम (2सीसीसी) 141, 2010(3सीसीसी) 43 में वर्णित सिद्धान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । इन न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों से भी यह पूरी तरह स्पष्ट है कि वसीयत दिनांक 25.04.2006 को प्रमाणित करने के लिये अपीलार्थी स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा वसीयत पर बतलाये गये गवाहान बाबूलाल, राजेन्द्र व सत्यनारायण में से किसी भी गवाह के शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है और न्यायालय में भी इनमें से किसी भी गवाह के बयान नहीं कराये गये है जिससे यह प्रमाणित नहीं हो पाया है कि वसीयतकर्ता ने किसी गवाह के सामने वसीयत की हो अथवा अपने हस्ताक्षर किये हो। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत को भी ध्यानपूर्वक देखा गया। वसीयत 50–50 रूपये के 2 किता स्टाम्प पर तहरीर की गयी है। यह स्टाम्प ओम पाराशर स्टाम्प वेन्डर द्वारा क्रय किये गये हैं लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद ... कोटा

Scanned with OKEN Scanner

इन स्टाम्पों की पिछीती पर वसीयतकर्ता बहादुर के कोई हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह भली-भाँति प्रमाणित होता है कि इन वसीयत के स्टाम्पों को वसीयतकर्ता बहादुर द्वारा क्रय नहीं किया गया है। जब स्टाम्प वसीयतकर्ता द्वारा क्रय नहीं किये गये हैं तो ऐसे स्टाम्प अपने आप में कूटरचित तरीके से अपीलार्थी द्वारा क्रय किया जाना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में इस वसीयतनामें को प्रमाणित भी नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस यह भी बतलाया है कि -वसीयतकर्ता की पत्नि मंजूबाई वसीयतकर्ता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के नाते चली गई, जिसका उल्लेख वसीयत में भी अंकित होना बतलाया है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने खण्डन में बतलाया कि - मंजूबाई के नाते चले जाने मात्र से मंजूबाई का उसके पति की सम्पत्ति मे हिस्सा समाप्त नही हो जाता क्योंकि नाता प्रथा मात्र से उत्तराधिकार का अधिकार समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा वसीयतकर्ता के 4 पुत्र शिवराज, रमेश, हीरालाल व रतन जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 है का उसकी माँ के साथ जाना न तो वसीयत में अंकित है और न ही अपील के प्रार्थना-पत्र में अंकित है और अधिवक्ता अपीलार्थी ने इन चारों पुत्रों के बाबत अपनी बहस में भी कोई कथन नहीं किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने बहस में यह बतलाया है कि ये चारों पुत्र मृत्यु पर्यन्त अपने पिता बहादुर के साथ रहे थे और बहादुर की देखभाल सेवा-चाकरी इन चारों पुत्रों ने ही की है तथा इन चारों पुत्रों ने ही बहादुर का अन्तिम संस्कार क्रियाकर्म आदि किया है। इस प्रकार से मंजूबाई के नाते जाने मात्र से अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई बल नहीं मिलता है।

आदेश

उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस व उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्तों के गहन अवलोकन के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बहादुर को भूमि गैरखातेदारी होने के कारण होने के कारण वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था, तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मियाद बाहर है, इस प्रकार से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में कोई सार नहीं होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

अपील खारिज की जाकर रेस्पोडेण्ट्स के नाम दर्ज नामान्तकरण संख्या 384 दिनांक 05.10.2016 यथावत् रखा जाता है।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(रामअवतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद।

निर्णय आज दिनांक 3/1/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय मे उद्घोषित किया गया।

(रामअवतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

Scanned with OKEN Scanner